सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 52/16 **निर्णय दिनांक 07.05.2018**

1. हरीराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी ग्रामा खारी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. गिरधारी पुत्र श्री सेऊलाल जाति नायक निवासी ग्राम खारी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29—06—2016
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः—

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 29—06—2016 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा ग्राम खारी तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 56 जिसके बट्टा नम्बर 56/2 तादादी 20 बीघा भूमि अपीलांट की खातेदरी भूमि है जिस पर अपीलांट काबिज है तथा मौके पर गवार आदि की फसल काश्त कर रखी है। वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट की तरमीमशुदा भूमि को हड़प करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि अपीलांट के पक्ष में राजस्व रिकार्ड के आधार पर साबित होने पर भी अदालत मातहत द्वारा बिना कोई विवेचन किये आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की है। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण वादगत् भूमि पर जबदस्ती कब्जा करने पर आमादा है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। जबकि रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण उक्त भूमि की खातेदार, गैर खातेदार अथवा कृषक आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनती है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाकर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को

काबिल काश्त बनाया गया है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 06—02—2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला, सुवधिा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होने पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही मौजा ग्राम खारी के खसरा नम्बर 56 जिसके बट्टा नम्बर 56/2 की 20 बीघा भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अपीलांट द्वारा काफी मेहनत व रूपया खर्च करके वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया है। रेस्पोडेन्ट अपीलांट की सुधरी हुई भूमि का देखकर मन में लालच आने पर बिना किसी सक्षम आदेश व मौके के विपरीत विधि विरूद्व तरीके से उक्त भूमि तरमीम करवा ली व अपीलांट को कब्जे काश्त से बेदखल करने पर अमादा है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रीडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित नहीं है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु वादगत् भूमि की तरमीम से संबंधित है। अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जोकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित किया गया है। उक्त धारा में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर बिना कोई विवेचन दिये आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(4) अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति किस प्रकार अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है, पर अपना विस्तृत विवेचन व प्रत्येक बिन्दु पर अपना विवेचन अंकित करते हुए कि किस प्रकार उक्त तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत व तर्कसंगत होता। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट/प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश युक्तियुक्त आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

(5) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो मौके की किसी प्रकार की कोई जॉच की गई व ना ही रिकार्ड का कोई अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष जब यह तथ्य स्पष्ट था कि प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु वादगत् भूमि की तरमीम से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त किया जाना अपरिहार्य था। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का आदेश दिनांक 29—06—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा संख्या 7 के मद संख्या 1 से 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर पुनः कार्यवाही करते हुए विधिवत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर